



## बाढ़ ने हमारे जीवन को अव्यवस्थित कर दिया। जब हमने रहने के लिए एक नई जगह किराए पर लेने की कोशिश की, तो हमको मना कर दिया जाता था।

जब बाढ़ आई तो हमें अपने घर से भागना पड़ा। सौभाग्य से, हमें कुछ समय के लिए आश्रय मिला। लेकिन जब हमने रहने के लिए जगह की तलाश शुरू की, तो हम आवास भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो की अनुचित ही नहीं - अवैध भी है। यदि आपको लगता है कि किसी मकान मालिक या ब्रोकर ने आपकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता या आपके बच्चे होने के आधार पर घर की बिक्री, किराये पर देने या वित्तपोषण से इनकार कर दिया, तो इसकी रिपोर्ट HUD या अपने स्थानीय निष्क्रिय आवास केंद्र को दें।

**hud.gov/fairhousing** पर जाएँ  
अथवा कॉल करें **1-800-669-9777**  
संघीय रिले सेवा **1-800-877-8339**



**NFHA**  
National Fair Housing Alliance



### निष्क्रिय आवास: कानून आपके पक्ष में है।

नेशनल फेरर हाउसिंग एलायंस के सहयोग में यू.एस. आवास तथा शहरी विकास विभाग का एक सार्वजनिक सेवा संदेश। फ्रेडरल निष्क्रिय आवास अधिनियम (Fair Housing Act) जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीय मूल, लिंग, पारिवारिक स्थिति या विकलांगता के कारण भेदभाव को निषेध करता है।